

28/1/2025 पत्रावली पेश। प्रार्थी तमील उपस्थित।
अप्रार्थी सेव्या 1 व 2 की ओर ले
अधीवक्ता को जवाब देते हुए प्रार्थी
हाथपर उपस्थित जवाब पेश नहीं करने
पर जवाब बंद किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पर उपपत्र अधीवक्ता
की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधीवक्ता
द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते
हुए बताया कि अप्रार्थीगण की मौजूदगी
बाजस रेकर की प्रचारकियाँ बताये गयीं
की मूल वाद तब अस्पाई निषेध जारी
जारी करने का आदेश फरमाते।

अप्रार्थी अधीवक्ता द्वारा बहस में
बताया कि विवादीत आराजी प्रार्थी व
अप्रार्थी से 1 व 2 की सामलानी आराजी
है व अप्रार्थी रेकार्डों जातेदार है अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते।

इसने पत्रावली का अवलोकन किया। उपपत्र
अधीवक्ता के बहस तथ्यों पर मनन करने
पर पाया कि विवादीत आराजी मोंग डेखा खुले
के खसरा संख्या 92, 93, 96 व 99/16 जुम्ब
खसरा 460 है। आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी सेव्या
1 व 2 की सामलानी व लेखुपल जातेदारी आराजी
है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सेव्या 1 व 2 रेकार्डों
अपेक्षा है जिसके विरुद्ध अस्पाई निषेध जारी
किया जाना उचित नहीं मानता है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र खारिज के खारिज किया जाता
है। पत्रावली के खल शुमार लेबर बन्द है
क्रम है। निर्णय सरे इजलास सुनया गया।



सुभाष कलेक्टर, सवाई
उपखण्ड अधिकाारी अजमेर